

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

जगदीश प्रसाद

बनाम

गुरुदयाल वगै०

म मुकदमा वाद पत्र 53, 188 मु० न० 08 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/7

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर वाद पत्र पेश हुआ। वादी की ओर से राधेश्याम कनवा एडवोकेट उपस्थित। कैवियट कर्ता प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से श्री श्रवण कुमार शर्मा व प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से श्री राजू सैनी एडवोकेट उपस्थित। वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर शेष प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 31.01.2025 को पेश हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना

31/1/25

पत्रावली पेश हुई। अभिमाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/1/25 को पेश हो।

28/1/25 पत्रावली पेश हुई। अबुलकास उर्फ P.O. नादक डीगल समीप में जाते ही ~~पत्रावली~~ P.O. नादक डीगल समीप जाते ही पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2/1/25 को पेश हो।

7/1/26 पत्रावली पेश हुई। वादी व अधील वडी अनुपस्थित। वादी का जवाब लगावायी गयी। जवाब लगावने के उपरान्त वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः वादी का वाद पत्र इन्फ्रिंज होकर अदालत के खाली किताब जाता है। पत्रावली पेश करने के बाद अदालत के अगले दिनांक 4/1/26 को पेश हो।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)